मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनॉक २० जून, 2018

कमांक एफ 25–33–2017–दस–3 :: सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 6–अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वनोपज की इलेक्ट्रोंनिक नीलामी के विनियम के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सेवा प्रदाता की नियुक्ति तथा वनोपज की इलेक्ट्रानिक नीलामी के लिए शुल्क का निर्धारण नियम, 2017 है।

(2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश में होगा।

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं :–

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''इलेक्ट्रॉनिक नीलामी'' से अभिप्रेत है, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से राज्य में स्थित वन विभाग के डिपो से वनोपज का निपटारा,

(ख) ''वनोपज'' के वही अर्थ होंगे, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 4 की उप धारा (2) में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए है,

(ग) ''केता'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जो इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में वनोपज कय करता है,

(घ) ''सेवा प्रदाता'' से अभिप्रेत है, मध्यपर्देश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा विकसित पोर्टल https://mpeproc.gov.in ।

3. निबंधन तथा शर्तों :–

वनोपज की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के विषय में निबंधन तथा शर्तें निम्नलिखित होंगी :–

(एक) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम वनोपज के प्रभावी निपटारे के लिए सेवा प्रदाता नियुक्त करेगा,

(दो) सेवा प्रदाता द्वारा विकसित पोर्टल https://mpeproc.gov.in का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए किया जाएगा,

(तीन) सेवा प्रदाता, केता से रजिस्ट्रेशन प्रभार के रूप में रूपए 500/– (यथा प्रायोज्य कर) तथा एक वर्ष पश्चात् रूपए 100/– (यथा प्रायोज्य कर) वार्षिक संधारण प्रभार के रूप में प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होगा,

(चार) सेवा प्रदाता, सफल केता से रूपए 250/– (यथा प्रायोज्य कर) प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

20/6/10

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, 462004

भोपाल, दिनॉकः २० जून, 2018

एफ–25–33/2017/10–3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–25–33/2017/10–3 दिनांक 20/06/2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार।

20/6/18

o/c

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
Forest Department
Bhopal

:: NOTIFICATION ::

Bhopal, Dated: 20 June. 2018

No.F-25-33/2017/10-3:: In exercise of the power conferred by section 6-A of the Information Technology Act, 2000 (N0. 21 of 2000), the State Government, hereby, makes the following rules for regulating the electronic auction of the forest produce, namely :-

RULES

1. Short title, extent and commencement :-

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh appointment of Service Provider and fixing of charges for Electronic Auction of Forest Produce.

(2) They shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions :-

In these rules, unless the context otherwise requires :-

(a) "Electronic Auction" means the disposal of forest produce from the Forest Department Depot situated in the State through Electronic Auction;

(b) "Forest Produce" shall have the same meaning as assigned in sub-section (2) of section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927);

(c) "Purchaser" means a person, who purchases Forest produce in electronic Auction;

(d) "Service Provider" means the Portal https://mpeproc.gov.in developed by the Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation.

3. Terms and conditions :-

The terms and conditions regarding e-auction of the forest produce shall be as under :-

(i) Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation shall appoint the Service provider for efficient disposal of the Forest Produce;

2—

(ii) The portal https://mpeproc.gov.in developed by the service provider shall be used for the Electronic Auction;

(iii) The Service Provider shall be authorized to receive Rs. 500/- (taxes as applicable) as registration charges and after one year Rs. 100/- (taxes as applicable) as annual maintenance charge from the purchaser;

(iv) The service provider shall be authorized to receive Rs. 250/-(taxes as applicable) from the successful purchaser.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

20/4/18

(Capt. Anil Kumar Khare)
Secretary
Government of M.P.
Forest Department